



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062022-236504
CG-DL-E-11062022-236504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]
No. 2560]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2687(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और सारण को बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-१३९ (w) के कि०मी० 11.610 (डिज़ाइन चैनेज 0.000) से कि०मी० 19.500 (डिज़ाइन चैनेज 7.890) तक दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के पश्चिमी किनारे के समानांतर गंगा नदी पर 180 मीटर अपस्ट्रीम (४/६ लेन आदि बनाने) कार्य में भूमि - अर्जन, रख-रखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) और सतम्भ (7) में क्रमशः राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए एतद द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के पटना और सारण जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -139(W) दीघा-सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के पश्चिमी किनारे के समानांतर गंगा नदी पर 180 मीटर अपस्ट्रीम में कि.मी. 11.610 (डिजाइन चनेज 0.000) से कि.मी. 19.500 (डिजाइन चनेज 7.890) तक एच.एल./एक्स्ट्राडोस्ड केबल ब्रिज का निर्माण कार्य में भू -अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सारण	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH139W के कि.मी. 14.81 से 19.5 तक	बिहार	सारण	<table><tr><td rowspan="2">सोनपुर</td><td>1</td><td>चौंसिअ</td></tr><tr><td>2</td><td>भरणपुरा</td></tr></table>		सोनपुर	1	चौंसिअ	2	भरणपुरा
सोनपुर	1	चौंसिअ									
	2	भरणपुरा									
2	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी ,पटना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH139W के कि.मी. 11.61 से 14.81 तक	बिहार	पटना	<table><tr><td rowspan="2">पटना सदर</td><td>1</td><td>दीघा दियारा</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		पटना सदर	1	दीघा दियारा		
पटना सदर	1	दीघा दियारा									

[फा. सं. NH-12030/14/2021-RO Patna-2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2687(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch Km 11.610 (Design Ch-0.000) to Km 19.500 (Design Ch 7.890) of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Land Acquisition of Construction of H.L./Extradosed Cable bridge on River Ganga parallel to Western side (180 meter upstream) of Digha-Sonepur Rail-cum-Road bridge under District Patna & District Saran on national Highway No (NH139W) (4/6 lane, etc.) for Construction, maintenance, management, and operation in the State of Bihar

SCHEDULE

Land acquisition for Construction of H.L./Extradosed Cable bridge on River Ganga parallel to Western side of Digha-Sonepur Rail-cum-Road bridge under District Patna& Saran on national Highway No (NH139W).

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer , Saran	14.81KM To 19.5KM	BIHAR	SARAN	Sonepur	1 Chausia

						2	Bharanpura
2	District Land Acquisition Officer, Patna	11.61KM To 14.81KM	BIHAR	PATNA	Patna Sadar	1	Digha Diyara

[F. No. NH-12030/14/2021-RO Patna-2]

RAJESH GUPTA, Director